न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 79/2022

ईश्वरलाल पुत्र श्री फूलचन्द जाति नायक, निवासी जोशी कॉलोनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज0।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।
2. लीलूराम पुत्र भागीरथ मल, जाति बलाई, निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी,जिला झुंझुनू,
आदेश क्रमांक राजस्व/2022/2023 आदेश दिनांक 07.09.2022

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ––––––रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री सुरेश कुमार शर्मा, एडवोकेट––––– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक– 10.04.2023

उक्त अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2022/2023 दिनांक 07.09.2022 तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत ने अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 1032/778 रकबा 0.1250 हैक्टर, खसरा नंबर [illegible]/779 रकबा 0.258 हैक्टर के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 ग्राम जहाज को आलौच्य आदेश क्रमांक राजस्व/2022/2023 दिनांक 07.09.2022 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अमल से पहिले

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

प्रत्याहरित/निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का जहाज एवं भू–अभिलेख निरीक्षक,पापड़ा द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 को आधार बनाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब को नजरअंदाज करते हुये आदेश जैर बहस पारित किया है जो अदालत मातहत द्वारा विधि एवंतथ्य की भूल कारित करते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा जवाब में कथन किया गया था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0 नं0 63/2021 के निर्णय दिनांक 07.04.2021 पारित होने के बाद आलौच्य आदेश में विवादित भूमि का नियमानुसार सम्परिवर्तन करवाया जा चुका है तथा सम्परिवर्तन आदेश को पंजीबद्ध भी करवा लिया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0नं0 63/2021 निर्णय दिनांक 07.04.2021 आज दिनांक को भी यथावत है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा विधि अनुसार नियमों की पालना करते हुये आलौच्य सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.07.2022 को सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 29.06.2021 को जारी होने के बाद करीब 11 महीने देरी से शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अपीलांट पर सक्षम राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के यहां गलत रूप से विधिवत विभाजन करवाये जाने को विवादित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार गलत विभाजन को आधार बनाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दिनांक 09.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दिनांक 9.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत करने के बाद मौजुदा शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को करीब 9 महीने देरी से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी देरी माफी के प्रार्थना पत्र के मौजुदा शिकायत प्रस्तुत की है। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये आदेश जैर बहस पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल की है। अतः सम्परिवर्तन आदेश में वर्णित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अभिजीत जिला कलक्टर झुन्झुनूं

के कब्जे के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0नं0 63/2021 के निर्णय दिनांक 7.4.2021 के संबंध में अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व सम्परिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तुत पटवारी हल्का मौका जांच रिपोर्ट को दर किनार करते हुये वर्तमान में मौका स्थिति परिवर्तन होने के बाद भी जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर गलत रूप से आदेश जैर बहस पारित किया गया है। अदालत मातहत के आदेश में मौके पर शिकायतकर्ता लीलूराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी जहाज का कब्जा काश्त नहीं होने व मौके पर अन्य व्यक्तियों जयमल पुत्र मगनाराम सैनी, सरदारमल सैनी, जगदेवाराम, बीरबलराम, फूलचंद व रामनिवास पुत्र हर्षाराम किशनलाल पुत्र मगनाराम के कब्जे की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर बहस पारित किया गया है । राजस्व रिकार्डमें उपरोक्त व्यक्ति खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है तथा ना ही उपरोक्त व्यक्तियों की ओर से कोई शिकायत प्रस्तुत हुई है। अदालत मातहत द्वारा आलौच्य सम्परिवर्तन आदेश में विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा दिनांक 12.04.2021 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, मौका जांच रिपोर्ट व सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 21.06.2021 के कम में दिनांक 24.6.2021 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को नजर अंदाज कर वर्तमान पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित मानकर विरोधाभाषी कृत्य किया है। अदालत मातहत द्वारा मौजुदा आलौच्य आदेश के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0नं. 63/2021 के निर्णय दिनांक 07.04.2021 को निरस्त करने का विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कृत्य किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां मु0नं0 63/21 व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के निर्णय के लिये विचाराधीन होते हुये आलौच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा सम्परिवर्तन दिनांक 29.6.2021 के कम में करीब 1 वर्ष 1 माह बाद प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पर सुनवाई करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में हुई देरी 1 वर्ष 1 माह के बाबत किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

कोई विवरण आदेश में पारित नहीं किया गया है। कानूनन किसी भी प्रकरण, वाद पत्र,प्रार्थना पत्र, अपील, निगरानी के लिये समय सीमा तय है। समय सीमा केबाहर जाकर सुनवाई करने से पूर्वअदालत द्वारा देरी के सम्बन्ध में निर्णय /आदेश से पूर्व देरी के बाबत अलग से निर्णय/आदेश पारित किया जाना बाध्यकारी प्रावधान है। अदालत मातहत द्वारा बाध्यकारी प्रावधानों को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 7.9. 2022 पारित किया है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा भूमि खसरा नंबर 1032 रकबा 0.1250 हैकटर, खसरा नंबर 1036/779 रकबा 0.258 हैक्टर के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश कमांक 45 दिनांक 29.06.2021 ग्राम जहाज के संबंध में पारित प्रत्याहरित/ निरस्त आदेश कमांक राजस्व /2022/2023 आदेश दिनांक 7.09.2022 को अपास्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत ने अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 1032/778 रकबा 0. 1250 हैक्टर, खसरा नंबर 1036/779 रकबा 0.258 हैक्टर के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश कमांक 45 दिनांक 26.09.2021 ग्राम जहाज को आलौच्य आदेश कमांक राजस्व/2022/2023 दिनांक 07.09.2022 के द्वारा प्रत्याहरित/निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का जहाज एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, पापड़ा द्वारा प्रस्तुत एकप[illegible] जांच रिपोर्ट दिनांक 01. 08.2022 को आधार बनाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ज[illegible] को नजर अंदाज करते हुये आदेश जैर बहस पारित किया है। [illegible] में कथन किया गया था कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0 नं0 63/2021 के निर्णय दिनांक 07.04.2021 पारित होने के बाद आलौच्य आदेश में विवादित भूमि का नियमानुसार सम्परिवर्तन करवाया जा चुका है तथा सम्परिवर्तन आदेश को पंजीबद्ध भी करवा लिया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0 नं0 63/2021 निर्णय दिनांक 07.04.2021 आज दिनांक को भी यथावत है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा विधि अनुसार नियमों की पालना करते हुये आलौच्य सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.07.2022 को सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 29.06.2021 को जारी होने के बाद करीब 11 महीने देरी से शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अपीलांट पर सक्षम राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के यहां गलत रूप से विधिवत विभाजन करवाये जाने को विवादित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार गलत विभाजन को आधार बनाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दिनांक 09.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दिनांक 9.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत करने के बाद मौजुदा शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को करीब 9 महीने देरी से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी देरी माफी के प्रार्थना पत्र के मौजुदा शिकायत प्रस्तुत की है। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये आदेश जैर बहस पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल की है। अलौच्य सम्परिवर्तन आदेश में वर्णित भूमि के कब्जे के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0नं0 63/2021 के निर्णय दिनांक 7.4.2021 के संबंध में अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व सम्परिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तुत पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट को दर किनार करते हुये वर्तमान में मौका स्थिति परिवर्तन होने के बाद की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर गलत रूप से आदेश जैर बहस पारित किया गया है। अदालत मातहत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

आदेश में मौके पर शिकायतकर्ता लीलूराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी जहाज का कब्जा काश्त नहीं होने व मौके पर अन्य व्यक्तियों जयमल पुत्र मगनाराम सैनी, सरदारमल सैनी, जगदेवाराम, बीरबलराम, फूलचंद व रामनिवास पुत्र हर्षाराम किशनलाल पुत्र मगनाराम के कब्जे की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त व्यक्ति खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है तथा ना ही उपरोक्त व्यक्तियों की ओर से कोई शिकायत प्रस्तुत हुई है। अदालत मातहत द्वारा आलौच्य सम्परिवर्तन आदेश में विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा दिनांक 12.04.2021 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, मौका जांच रिपोर्ट व सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 21.06.2021 के कम में दिनांक 24.6.2021 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को नजर अंदाज कर वर्तमान पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को प्रमाण्ति मानकर विरोधाभाषी कृत्य किया है। अदालत मातहत द्वारा मौजुदा आलौच्य आदेश के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु0नं. 63/2021 के निर्णय दिनांक 07.04.2021 को निरस्त करने का विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कृत्य किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां मु0नं0 63/21 व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी के निर्णय के लिये विचाराधीन होते हुये आलौच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 29.6.2021 के कम में करीब 1 वर्ष 1 माह बाद प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में हुई देरी 1 वर्ष के बाबत किसी प्रकार का कोई विवरण आदेश में पारित नहीं किया गया है। कानूनन किसी भी प्रकरण, वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, अपील, निगरानी के लिये समय सीमा तय है। समय सीमा के बाहर जाकर सुनवाई करने से पूर्व अदालत द्वारा देरी के सम्बन्ध में निर्णय/आदेश [illegible] देरी के बाबत अलग से निर्णय/आदेश पारित किया जाना बाध्यकारी प्रावधान है। अदालत मातहत द्वारा बाध्यकारी प्रावधानों को नजर अंदाज कर आदेश दिनांक 7.9.2022 पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अपीलांट मातहत द्वारा भूमि खसरा नंबर 1032 रकबा 0.1250 हैकटर, खसरा नंबर 1138/779 रकबा 0.258 हैक्टर के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 ग्राम जहाज के संबंध में पारित प्रत्याहरित/ निरस्त आदेश क्रमांक राजस्व /2022/2023 आदेश दिनांक 7.09.2022 को अपास्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण की जांच की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थी के आवासीय मकानों एवं भूमि को अपने कब्जे काश्त की भूमि दिखाकर संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 को अपने नाम से राजस्व की हानि पंहुचाने के लिए बाला बाला रूप से जारी करवा लिया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण की जांच की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली के अवलोकन यह तथ्य साबित है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में तहसील उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 अपीलांट ईश्वरलाल पुत्र फुलचंद जाति नायक निवासी जोशी कॉलोनी नीमकाथाना के नाम से जारी किया गया है और उसके करीब 1 वर्ष बाद में आदेश 7.09.2022 के द्वारा पूर्व में स्वयं के द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दि. 29.06.2021 को निरस्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

उक्त संपरिवर्तन आदेश कमांक 45 दिनांक 29.06.2021 को निरस्त कराने के लिये पटवारी हल्का जहाज एवं भू0अ0 निरीक्षक छापोली की रिपोर्ट दिनांक 1.08.2021 को आधार मानकर आदेश दिनांक 07.09.2022 पारित किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार– "ग्राम जहाज के भूमि खसरा नंबर 1032/778 रकबा 0.1250 हैक्टर व खसरा नंबर 1036/779 रकबा 0.0250 हैक्टर किस्म गै0मु0 आवासीय रामोतार पुत्र भागीरथ कौम माली सा देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नंबर 1032/778 पर पशुओं के लिए टीनशैड बने हुये हैं, व एक चुना, ईंट के मकान बना हुआ है जिसमें पशुओं का चारा डला हुआ और जयमल पुत्र मगनाराम सैनी आदि रहते हैं।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी सम्वत 2075 खसरा नंबर 1032/778 एवं 1036/779 कुल रकबा 0.1508 आवासीय रिकार्ड पर उपलब्ध थी, लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा ना नो इनको नोटिस जारी किया गया और ना ही तहसीलदार द्वारा जाकर विवादित भूमि का कोई मौका निरीक्षण किया गया और ना ही इस संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग दी है, आनन–फानन में शिकायतकर्ता के प्रार्थन पत्र पर कार्यवाही करने की जल्दबाजी में उक्त आदेश दिनांक 07.09.2022 पारित किया जाना प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब कि– "वर्णित भूमि खसरा नंबर 778, 779 का विधिवत विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मुकदमा नंबर 63/2021 निर्णय दिनांक 07.04.2021 को हुआ था और जिसकी पालना तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा की गई थी। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 में कोई विवेचना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदासर द्वारा करीब 1 वर्ष बाद विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारों को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही उक्त आदेश दिनांक 07.09.2022 पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया के बाहर जाकर पारित किया जाना प्रतीत होता है। स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.6.2021 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 के संबंध में पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2022/2023 दिनांक 07.09.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर सभी रिकार्डेड पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय आदि का अवलोकन करते हुये विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत गुणवगुण के आधार पर पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested